

**रक्षा मंत्रालय**  
**(संयुक्त सचिव (प्रशि.) एवं मुप्रअ कार्यालय)**

**विषय :- गृह नगर/वांछित स्थान में स्थित केन्द्र सरकार के किसी कार्यालय में अंतर-विभागीय स्थानान्तरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र ग्रहण करने के लिए आवेदन हेतु दिशा-निर्देश**

1. सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिकीय एवं आशुलिपिकीय सेवाओं में कार्मिकों की अत्यधिक कमी के चलते केन्द्र सरकार के किसी अन्य कार्यालय में अंतर-विभागीय स्थानान्तरणों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। अतः अप्रैल 2001 के बाद इस प्रयोजन के लिए अधिकारी-बोर्ड की कोई भी बैठक के बाद नहीं हुई। विभिन्न वर्गों से इस प्रतिबंध को हटाने के लिए इस कार्यालय में भारी मात्रा में अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं।

2. मामले का पुनरावलोकन किया गया। संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी ने, इस वर्तमान प्रतिबंध में आंशिक रूप से परिवर्तन करते हुए, सुयोग्य पात्रों को अति अनुकंपीय आधार पर 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' हेतु आवेदनों पर विचार करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

3. इस विषय में नोट संख्या ए/22856/एनओसी/मुप्रअ/का-1 दिनांक 04 दिसंबर 1997 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में भी संशोधन हुआ है तथा अनुवर्ती प्रभाव से केवल निम्नलिखित श्रेणियों के कार्मिकों के 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' हेतु आवेदनों पर विचार किया जाएगा :-

(क) स्वयं/पति-पत्नी/आश्रित संतान के कैंसर, आनुवांशिक हृदय समस्याओं, ब्रेन ट्यूमर आदि, घातक रोगों से उपचार हेतु (चिकित्सीय प्रमाण पत्र तथा उपचार संबंधी दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक)

(ख) एकमात्र संतान, जिन पर आश्रित अभिभावकों का कैंसर, आनुवांशिक हृदय समस्याओं, ब्रेन ट्यूमर आदि, घातक रोगों का उपचार कराना है। (चिकित्सीय प्रमाण पत्र तथा उपचार संबंधी दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक )

(ग) विवाहित कर्मचारी जिनके पति/पत्नी किसी अन्य स्थान पर कार्यरत हैं।

(घ) सशस्त्र सेना मुख्यालय में कार्यरत विधवा/अविवाहित महिला कर्मचारी जो अपने परिवार से दूर हैं।

4. शारीरिक रूप से विकलांग समूह 'घ' एवं अन्य श्रेणी के कर्मचारी (लिपिकीय एवं आशुलिपिक के अतिरिक्त) उपरोक्त प्रावधानों के बावजूद योग्यता के आधार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु विचाराधीन होंगे।

5. अनापत्ति प्रमाण पत्र, जारी किए जाने की तिथि से दो वर्षों तक ही वैध होगा। तदोपरान्त ऐसे कर्मचारियों को दोबारा नए सिरे से आवेदन करना होगा।

6. अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के इच्छुक कर्मचारी जो कि उपरोक्त पैरा संख्या 3 एवं 4 के तहत योग्य हैं वे अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु इस टिप्पण में संलग्न प्रपत्र को भरकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन संलग्न प्रपत्र में ही पूर्णरूप से भरा हुआ होना चाहिए। अधूरा प्रपत्र बिना किसी कार्यवाही के वापस कर दिया जाएगा। सीधे तौर पर प्रेषित आवेदन प्रपत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन प्रपत्र मुप्रअ/का-1 को अग्रेषित करने से पूर्व संबंधित प्रशासनिक/अनुभाग उसकी पूर्णरूप से जाँच कर ले। ऐसे आवेदन जो उपरोक्त पैरा 3 एवं 4 श्रेणी में नहीं आते हों उसे संबंधित प्रशासनिक/अनुभाग द्वारा अग्रेषित न किया जाय एवं आवेदक को इसकी सूचना दे दी जाए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक बार अस्वीकार किए गए आवेदन पर पुनर्विचार करने हेतु तभी अग्रेषित किया जाय जब उसमें कोई सार्थक बदलाव हुआ हो जिस पर पुनर्विचार किया जा सके।

7. इस बात का ध्यान रखा जाए कि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु गलत सूचना/झूठा चिकित्सीय प्रमाण पत्र संलग्न करने वाले आवेदकों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

8. सशस्त्र सेना मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के बीच इस परिपत्र में निहित विषयवस्तु का विस्तृत प्रचार-प्रसार किया जाए।

(यूए जोस)

सं. निदेशक, मुप्रअ/का-1

14 जुलाई 2004

संलग्न : (आवेदन प्रपत्र)

संबंधित सशस्त्र सेना मुख्यालय/अंतर सेवा संगठनों के समन्वय अनुभाग  
वासेमु/पीसी-1 एवं पीसी-2 नौ सेना मुख्यालय/प्रशा0(सिव)  
संयुक्त सचिव (प्रशि.) एवं मुप्रअ के प्रधान निजी सचिव  
निदेशक (मा० सं०) एवं निदेशक (सं० एवं प्र०) के निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक  
उप मुख्य प्रशासन अधिकारियों के वैयक्तिक सहायक  
मुप्रअ कार्यालय के सभी अनुभाग  
सशस्त्र सेना मुख्यालय के बाह्य स्थित कार्यालय  
सभी कर्मचारी एसोसिएशन  
सूचना पट्ट

